महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.03.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 23.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

होली त्यौहार के दृष्टिगत एक लम्बे अन्तराल के बाद आज दिनांकः- 23.03.2025 को खुल रहे बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक-22.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह हे0कां0 राजकुमार सिंह व कां0 संग्राम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार अहिरवार पुत्र भानूप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी औड़ेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर हाल पता बनियातला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 550 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए ग्राम यशोदानगर थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/25 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

राजू उर्फ राजकुमार अहिरवार पुत्र भानूप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी औड़ेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर हाल पता बनियातला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 संजय सिंह चौकी इन्चार्ज बजरिया
2. हे0कां0 राजकुमार सिंह
3. कां0 संग्राम

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.03.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर अभियुक्त को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह कां0 धीरज कनौजिया व कां0 भरत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अमान सिंह राजपूत पुत्र मदन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. का0 धीरज कनौजिया 3. का0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

अमान सिंह राजपूत पुत्र मदन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 1056/2014 धारा 302/120बी0 IPC थाना अजनर जनपद महोबा।
2. मु0अ0स0 177/2017 धारा 354(क)/452/506 IPC व 08 पोक्सो अधिनियम थाना अजनर जनपद महोबा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

Ek vyakti ke swayam ko aag lagane ka prayaas karne ki soochna par thana mahobkanth ki police dwara mauke pe pahunch kar hospital lejaya gaya jahaan uski haalat samanya batayi gayi hai. Jaanch pe gyaat hua ki pita dwara zameen bech dene aur uski vaapas maangne ka dabaav banane ke uddeshya se ye kritya kiya gaya hai. Prakran mananiya nyayalaya mein vicharadheen hai. Avashyak vidhik karyavahi ki ja rahi hai. Is sambandh mein co kulpahad ki byte

एक व्यक्ति के स्वयं को आग लगाने का प्रयास करने की सूचना पर थाना महोबकंठ की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बतायी गयी है। जांच से ज्ञात हुआ कि पिता द्वारा पूर्व में जमीन बेंच दी गयी, जमीन को क्रेता से वापस मांगने का दबाव बनाने के उद्देश्य से इनके द्वारा यह कृत किया गया है, प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार द्वारा दी गई बाइट।